

CERTIFICATE

It is certified that there is no suitable non forest Government Land available for carrying out compensatory afforestation in lieu for 1.80 hectare revenue forest area to be diverted to 132/33 K.V. Sub-staion District Raigarh.

Date :- 22-09-2016


(Alarmelmangai D)
Collector
Raigarh(C.G.)

[illegible]

—00—

अतः वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

रायगढ

रायगढ

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

प्रमाण पत्र

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के उल्लंघन होने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यावाही

—00—

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) पटवारी हल्का नं. 16 खसरा न. 133/1 रकबा 1.800 हे. राजस्व वन भूमि (छोट झाड़ के जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित रायगढ़, जिला - रायगढ़ द्वारा 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः इस हेतु किन्हीं भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।


वन परिक्षेत्राधिकारी

रायगढ़

उप वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़

१.
वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी
अभ्यारण या हाथी कॉरीडोर एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व का
चिन्ह/मूर्ति की जानकारी

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कॉरीडोर एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं आता है।


वन परिक्षेत्राधिकारी

रायगढ़


उप वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़


वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

"A DETAILED NOTE ON SOIL PRODUCTIVITY OR THE LACK OF IT"

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा आबंटित वन क्षेत्र का "A Detailed Note On Soil Productivity Or The Lack Of It" के संबंध में चाही गई जानकारी अनुसार आवेदित वन भूमि ग्राम— पुटकापुरी (कोंडातराई) पटवारी हल्का नं. 16 खसरा नं. 133/1, रकबा 1.800 हेक्ट. राजस्व भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायगढ़ द्वारा 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। आवेदित क्षेत्र में भूमि की दशा प्राकृतिक प्रायः पीली रेतीली मिट्टी है, भूमि की दशा प्राकृतिक (Geo-Ecological) कारणों से है।

()
परिक्षेत्र अधिकारी
रायगढ़

()
(.....)
उप वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़

()
वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ग्राम पुटकापुरी (कोंड़ातराई) पटवारी हल्का नं. 16, खसरा नं. 133/1, रकबा 1.800 हेक्टर. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़, जिला-रायगढ़ द्वारा 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु चयन किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है एवं इस प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक /11237/2015 है।

आवेदक संस्थान से पंजीयन शुल्क रुपये 6,000.00 डी.डी. क्र. 738576 दिनांक 02.12.2015 की राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 18,000.00 डी.डी. क्र. 738577 दिनांक 02.12.2016 से वूसल की जाकर उसे कोषालय में चालान क्रमांक 413 दिनांक 21.03.2015 जमा कर दिया गया है।



वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़